Form no. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

पूनम पुत्री भीखाराम पौत्री मोडूराम जाति मेघवाल साकिन बनवाला तहसील फाजिल्का

बनाम

श्री अमरजीत पुत्र श्री मोडूराम वगै0

अपील अंतर्गत धारा 75 एलआरएक्ट

प्रकरण संख्या 33 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
29.07.2024	यह अपील श्री राकेश सारस्वत अधिवक्ता द्वारा अंतर्गत धारा 75 एलआरएक्ट के प्रस्तुत किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थना पत्र, 96 सीपीसी व प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर निर्णय सुरक्षित रखा जावे। स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि जैर अपील रकबा स्व0 श्री मोडूराम के नाम से था। स्व0 श्री मोडूराम के देहांत के पश्चात चक 1 डीओ की 6.325 है0 भूमि में अपीलार्थी अपने पिता भीखाराम के देहांत के प्श्चात एकमात्र वारिस होने के कारण 1/4 हिस्सा उत्तरवादी न0 1 ता 3 बहिब 3/4 हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत पाने का हकदार है। स्थगन प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता अपीलांट की एकतरफा बहस सुनने एवं प्रस्तुत शपथ पत्र व दस्तावेजात पर विश्वास करने से प्रथम दृष्टया प्रकरण मे रेस्पोडेंट को पाबंद किया जाता है कि वे आगामी तारीख पेशी तक चक 1 डीओ के प.न. 81/16 कि.न. 1 ता 25 की 6.325 है0 अ.क. भूमि को किसी भी प्रकार से किसी भी अन्य काश्तकार अथवा संस्था बैंक सोसाईटी को रहन बैय न करें व ना ही किसी को हस्तांतरण करें रिकार्ड की यथास्थिति यथावत बनाए रखें। रेस्पोडेंट के नाम सम्मन नोटिस जारी हो अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 04.09.2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर) अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़	526-529 1-8-24 532 1-8-24

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 12:58:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

(... पृष्ठ)

7-8-2024

पत्रावली अपीलांट द्वारा शीघ्र सुनवाई का प्रा.पत्र व विड्रा प्रा.पत्र प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गई। अपीलांट द्वारा प्रा.पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट व उत्तरवादीगण के मध्य घरेलू समझौता हो गया है अतः अपील को आगे नहीं चलाना चाहती है। अपीलांट के प्रा.पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। चूंकि अपीलांट व उत्तरवादीगण के मध्य घरेलू समझौता हो गया है। अतः विड्रा की अनुमति दी जाकर पत्रावली ~~इसी~~ स्तर पर खारिज की जाती है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
मुख्यालय (जिला—श्री गंगानगर)

Poonam Rani

प्रकाश
बिश्नोई
PJ.
प्रकाश

Adv

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 12:58:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner